

विषय:- आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग तथा आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालयों में विभागीय परीक्षाओं का तंदालन ।

—०—

आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग में निम्नलिखित प्रशिक्षण तत्रों की समाप्ति के बाद सत्रान्त परीक्षा का आयोजन दिया जाता है जिसका महत्व विभागीय परीक्षा के समतुल्य है ।

1. आरक्षी उपाधीकर्तों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
2. आरक्षी अवर निरीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
3. सहायक लोक अभियोजक का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
4. उत्पाद अवर निरीक्षक/निरीक्षक का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
5. सहायक अवर निरीक्षक को कोटि में प्रोत्तित हेतु प्रशिक्षण सत्र ।

इनके अतिरिक्त, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, पदमा प्रशिक्षण संस्थान, टी०टी०एस० जमशेदपुर तथा भैन्य पुलिस की वाहिनियों में जिला बल के आरक्षियों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र तथा हवलदार की कोटि में प्रोत्तित हेतु एस०एल०सी० प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं ।

कंडिका । से ५ के प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण सत्र के अन्त में पी०टी०टी० ए०ए० तंद्या में हजारीबाग द्वारा आयोजित सत्रान्त परीक्षा में सम्मति होकर परीक्षा के लभी न किया जाएगा । विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । बुनियादी प्रशिक्षण की परीक्षाओं में अनुत्तम अन्यादन देख होने पर प्रशिक्षणार्थी की अगली देतन - छूटि तथा तम्बूचिट रोकी जाती है तथा प्राचार्य द्वारा पूर्णतः अनुत्तीर्ण हो जाने पर परीक्षणमान अकाध समाप्त की जा सकती है । इस लेखों द्वारा देख ये परीक्षाएँ विभागीय कर्मियों के लिए बहुत गहरात्पूर्ण हैं । परीक्षाओं के लिए के लिए प्रशिक्षणार्थीयों के लिए नियम ३.१४ में दी गयी प्रतिकार्य वर्तमान में अपनायी जाती है अरन्पुर यत्की हुई परिस्थिति में कुछ ऐसी परम्पराएँ कार्य प्रणाली में आ गयी हैं जिनका कोई नियमित आधार नहीं है । अतः विभाग परीक्षणों के सुगम तंदालन सदृश्यमादन देहु जपत्तिय नियमों, परम्पराओं जो उसके अन्तर्गत सदृश्यमादन करते हुए निम्न प्रकार नियमने प्रणित कर प्राप्तियाएँ निर्धारित की जाती हैं :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के अन्त में प्राचार्य पी०टी०टी० तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के प्राचार्य परीक्षा की तिथि अंतर्गत निर्धारण तथा परीक्षाओं दो मनोनीत करने का प्रस्ताव प्रशिक्षण मुख्यालय को भेजें । महानिवेशन/अपर महानिवेशन/महानिरीक्षक प्रशिक्षण द्वारा परीक्षा की तिथि सदृश्य परीक्षाओं का नाम अनुमोदित कर दूखि किया जाएगा ।

2. इकूल प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि के परीक्षा आयोजित करने के लिए तुरत आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

पी०टी०टी०
कन लार्य करने के
पाठ्यक्रम सदृश्य
दो अंतर्गत
के नाम पर

हमति प्रकट
प्रशिक्षण
प्रित के अनुसार
जी हिरासत
प्रोत्तिकर
सगा ।
त कार्य

प्रश्न पत्र,
कन हेतु भेजे
परीक्षाओं के लिए
न्तु अदर निरीक्षक
र कम से कम आरक्षी
प्रोक्षों के मार्गदर्शन
र आ वर्षक दिशा

इह परीक्षणमें भाग लेने वाले प्राचार्यार्थियों को विज्ञापन प्रकाशित कर प्राचार्य द्वारा गृहित किया जाएगा । उत्तर पुस्तकार्थों की व्यवस्था तथा परीक्षा हेतु का व्यवस्थापन प्राचार्य द्वारा किया जाएगा ।

इन अनुनीति परीक्षणों स्वं प्रश्न चयनकल्पितों को प्राचार्य पी०टी०ती० हजारीबाग मनोन्यन प्रस्ताव भेजे एवं उन्हें प्रश्न चयन करने स्वं मूल्यांकन कार्य करने के लिए अनुरोध जरूरी । परीक्षणों द्वारा पी०टी०ती० से प्राप्त मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम एवं नमुना प्रश्न एवं के आधार पर तम्भान्धन पत्र में प्रश्नों का चयन कर दो और इनमें दोहरावन्द लिफाके में प्रश्न पत्रों को प्राचार्य पी०टी०ती०, हजारीबाग के नाम पर निर्धारित तिथि के अन्दर अवश्य भेज दिया जाएगा ।

इयं यदि लौह मनोनीत परीक्षक परिस्थितिवश अपनी अत्यधिक प्रकट करें तो उनके स्थान पर डैलिक व्यवस्था के लिए प्राचार्य द्वारा दुनः प्राचिक्षण मुख्यालय के अनुनीति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और अनुभौदन प्राप्ति के अन्तर कार्रवाई की जाएगी ।

इ० ३ प्रश्न पत्रों को प्राचार्य, पी०टी०ती० द्वारा अनेक निजी हिरातत में रखा जाएगा । परीक्षा की तिथि के सुबह प्राचार्य द्वारा प्रश्न पत्रों को खोलकर टंकण स्वं प्रतिलिपिकरण देहु अधीक्षक, पी०टी०ती० को तुष्टि किया जाएगा । अधीक्षक अपनी उपस्थिति में प्रश्न पत्र का टंकण स्वं प्रतिलिपिकरण का कार्य कराएँ । परीक्षा प्रारम्भ होने के १०-१५ मिनट पूर्व प्रश्न पत्र पर्याप्त तेल्या में विक्षणों को उत्तरदाय कराए जाएँ जो परीक्षार्थियों के दीव वितरीत किया जाएगा ।

इ० ४ पी०टी०ती० की परीक्षा शाखा में दैनिक तार्य तम्भान्धन देहु निरीक्षक/अधीक्षक द्वारा दीट के स्क पत्राधिकारी एवं इस लिपिक प्राचार्य द्वारा प्रतिनिष्ठित नहीं जाएँ । परीक्षा शाखा तम्भान्धी तंचका एवं अभ्यर्थी द्वारा इन कर्तव्यार्थों द्वारा दुर्लभ एवं गोपनीय रखा जाएगा ।

इ० ५ परीक्षा तंचालन के लाल तभी उत्तर पुस्तकार्थ, प्रश्न पत्र, मूल्यांकन दूधी दो शाखा दोहरावन्द लिफाके में परीक्षणों के पात्र मूल्यांकन देहु भेजे जाएँ ।

३. परीक्षक का स्तर :-

परीक्षक का स्तर उन द्वारा आयोगित होनेवाली वर्षक्षणों के लिए पी०टी०ती०, हजारीबाग में आयोगित होनेवाली परीक्षणों के लिए परीक्षक का स्तर उन द्वारा आयोगित होनेवाली वर्षक्षणों के लिए परीक्षक का स्तर उन द्वारा आयोगित होनेवाली परीक्षणों के लिए परीक्षक का स्तर कम तेकम आरक्षी तथा उद्योगक अधर निरीक्षक द्वारी परीक्षणों के लिए परीक्षक का स्तर कम तेकम आरक्षी उपाधीक्षक तथा उधित तेकम आधर आरक्षी अधीक्षक का होगा । परीक्षणों के मार्गदर्शन के लिए मुख्यालय द्वारा प्राचार्य, पी०टी०ती० द्वारा तम्भ- तम्भ पर आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जाएँ ।

४. प्रांच पत्रों की तमीक्षा :-

4. प्रश्न पत्रों की समीक्षा :-

उसकी प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह जाया जाये कि प्रश्न पत्रों का स्तर संचित दोषों के परीक्षार्थियों के स्तर से ऊच्च है या अधिक कठिन है या पाठ्यक्रम तो बाहर संकलित किया गया है तो उन प्रश्न पत्रों में आवश्यक संशोधन समिति द्वारा किया जा सकता है। इस समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त पद्मा के प्रभारी एवं अमर अमरस्थी महानिदेशक प्रशिक्षक के सहायता से प्रशिक्षण देखें।

5. उत्तर पुस्तकालों का मूल्यांकन :-

(१) परीक्षणों द्वारा उत्तर पुस्तकालों के मूल्यांकन में परीक्षार्थियों के स्तर, खानकर शैक्षिक स्तर को अद्यत्य ही ध्यान में रखना होगा। यदि परीक्षार्थियों का स्तर वांछित स्तर से कम है तो परीक्षक को मूल्यांकन करते समय उक्त तंत्रजित हृषिकेष अपनाना चाहिए, ताकि अधिक तंख्या में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण न हो।

(२) यही यदि चित्री पत्र में ५० प्रतिशत या ५० प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हों, तो उत्तर पुस्तकालों को पूर्णमूल्यांकन देने वाला सम्भाव्यता परीक्षक के पात्र आवश्यक मार्गदर्शन के लाभ के लाभ जाएगा। परीक्षक उत्तर पुस्तकालों को निविरत तथा सीमा के अन्तर अवश्य लौटा दें ताकि परिणाम घोषित करने में अत्यधिक विकल्प न हों।

(३) परीक्षाकाल से देखें हुए कृपांक देखें जी अनुसंदृ प्राचार्य द्वारा जो ज्ञानती है उसका अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर देखें जाएगा।

6. उत्तर परिणाम :-

(१) यही दीर्घी तीरों की परीक्षा ग्राहा द्वारा करीवा का परिणाम तंत्रजित पर उत्तर परिणाम देखार दिया जाएगा। उसके बाद अधीक्षक, दीर्घी तीरों की प्राचार्य द्वारा उत्तर परीक्षाकाल की जाएगी। परीक्षा ग्राहा ग्राहारी तथा अधीक्षक, दीर्घी तीरों उत्तर परीक्षाकाल की प्रतिक्षणों पर इसका प्रत देंगे। उत्तराचार प्राचार्य द्वारा हुए छोड़े जाने पर परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। परिणाम तेथार से जाने पर आगामी टैप्पाणी एवं अनुसंदृ प्राचार्य परिणाम जी द्वारा उत्तर परीक्षाकाल के लाभ प्राचार्य परिणाम जी द्वारा उत्तर परीक्षाकाल के लाभ प्राचार्य भेजे जाएं।

(२) यही परिणाम मुख्यालय द्वारा आवश्यक समीक्षोपरान्त अनुगोपित किया जाएगा एवं उसे प्रकाशन देने प्राचार्य को लौटा दिया जाएगा। कृपांक के अन्वन्य में निर्णय देने पर परिणाम पत्र पर मुख्यालय में ही आवश्यक संशोधन कर किया जाएगा।

(३) मुख्यालय ने अनुगोपित परिणाम प्राप्त होने के पश्चात प्राचार्य

झेतादेश मिर्गत कर उपत परिणाम को घोषित करेंगे एवं तभी प्राप्तिष्ठानार्थी की तेवा- पुस्ति में उपत परिणाम की प्रधिगित कर ही जास्ती ।

४५. पुलित हस्तक नियम ६५८॥।।।५१ के नीचे दी गया टिप्पणी में अनुसार अवर निरीक्षक प्रशिक्षितों की अंतिम परीक्षा में तभी विषयों में उत्तीर्ण एवं श्रेष्ठ योग्यता उत्तार प्रथम तुल प्राप्तिष्ठानार्थीयों के । ८ प्रतिशत प्रशिक्षितों को एक अग्रिम वेतन- दृढ़ि स्वीकृत की जास्ती ।

7. कृपांक :-

४५२ वर्तमान पी० टी० सी० नियमावली में दृष्टिक्षेत्रे कृपांक के सम्बन्ध में घोर प्रावधान नहीं है । किन्तु पुलित हस्तक नियम ६८२३२३१५३ में महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, विहार को छह यह शक्ति प्रदत्ता है कि वे अवर निरीक्षक और तमक्षण पंचित के प्राप्तिष्ठानार्थी को तत्रान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को मार्जित कर सकते हैं । इत प्रावधान का विस्तारपूर्वक अर्थ लगाते हुए परीक्षा में कृपांक प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

४५३ अधिकतम १० प्रतिशत कृपांक २ विषयों में—एक इनडोर विद्य तथा दूसरे आठट- डोर विषय में अलग दिया जा सकता है । कृपांक देने की शक्ति महानिदेशक/अपर महानिदेशक प्रशिक्षण/महानिरीक्षक, प्रशिक्षण में विहित होना, यह प्रावधान तभी तरह के कर्त्तव्यों पर लागू होगा । इत सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत पुलित झारदेश २२४/१ निरस्त किया जाता है ।

8. प्राप्तिष्ठानार्थी जो तत्रान्त परीक्षा के तभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए अंतिम परीक्षा के बाद वो अवसर प्रदान दिए जाएं । अनुसूचि जाति एवं अनुशूदित जनजाति के प्राप्तिष्ठानार्थीयों को एक अधिक अवसर दिया जाएगा । बाह्य विषय ४५३७ डोर विषय ५८ में अनुत्तीर्ण प्राप्तिष्ठानार्थी जो पूरक परीक्षा में भाग लेने के पूर्व इन विषयों के अध्ययन प्रशिक्षण का रूपमें प्राप्तिष्ठण ऐन्ड्रू में वास्त्रालिल वेतन होगा । उपराख अवसरों में तभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं होने पर प्राप्तिष्ठानार्थी जो अंतिम रूप के अनुत्तीर्ण वो वितरित किया जाएगा । सीधी प्रशिक्षण के बाद दूनिधारी प्रशिक्षण वो वितरित में उनकी वेतन- दृढ़ि एवं अनुशृण्टि धारित होगी तथा नियुक्ति पदाधारों अथवा उत्तार के निर्णयानुत्तार उन्हें वेतन से हटाने की कार्रवाई की जास्ती । प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण की स्थिति में प्राप्तिष्ठानार्थी वो प्रोन्नति हेतु अपोग्य समझा जाएगा तथा पहले भेजे गए प्रोन्नति होने की स्थिति में उन्हें मौलिक वह यह प्रत्यावर्त्तित कर दिया जाएगा ।

9. ४५४ प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासनहीनता एवं लताचार ऐलिप्टा पाये जाने पर प्राप्तिष्ठानार्थी को प्रशिक्षण से वंचित किया जा सकता है । प्राप्तिष्ठानार्थी को घोर अनुशासनहीनता या लताचार का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर ऐन्ड्रू जिला वापत कर सकते हैं । उनके प्रियंका भागीय

कार्यपाली चलाकर दण्डित करने ली कार्यपाली समानित आरधी अधीक्षक/समाहेजटा प्ररा की जाएगी ।

४५. नवनियुक्त पदाधिकारी को नीये हुनियादी प्रशिक्षण के लिए पी० टी० बी० में योगदान देते हैं उनके विस्तृ परे अनुग्रामनहीनता या नवाचार का आरोग पाए जाने पर, प्राचार्य पी० टी० बी० प्ररा आवश्यक अनुग्रामनिक कार्यपाल ग्रामस्थ की जाएगी एवं विभागीय कार्यपाली नियमादित होते तक उन्हें पी० टी० बी० में रोक कर रखा जाएगा । उन्हें दिन तक सभी परीक्षणमान अधिकारी उपस्थिति ढे जाएगी ।

४६. आरधी उपाधीक कीटि के पदाधिकारी के विस्तृ अनुग्रामनहीनता या बदाचार जा आरोग पाए जाने पर उनके बारे में विस्तृत जॉब प्राचार्य, पी० टी० बी० प्ररा की जाएगी एवं मुख्यालय की आदानपान अनुशंसा के साथ प्रतियेदन उमर्गित लिया जाएगा । उन्हें को कार्यपाल दुखालय के अंदर वर की जाएगी ।

४७. बदाचार :-

पी० टी० बी० प्ररा की त्रान्त परीक्षा १० बदाचार अपनाते हुए पाए जाने पर वारीधारी के उक्त पक्ष में अनुत्तीर्ण तथा प्राचारांक शून्य या ना जाएगा एवं अल्प के विभागीय कार्यपाल उन्हें बदाचार के लिए हुन्हत अवधि प्रदान की जाएगी ।

१०. आरधी एवं स्त० रस० बी० ४/२०४८ प्राचाराधीर्णे अनुत्तीर्ण होते पर प्राचारांक बेन्दू में लोन वर एक बाहु और तक जनन प्राचिक्रम दिया जाएगा तथा परीक्षा देने उन्होंने ऐसी जिता धारा दिया जाएगा ।

११. विशेष प्रशिक्षण :-

११/१. विशेष को प्राचाराधीर्णे सीन या बीज से आवेदन करने के अनुत्तीर्ण होने विशेष उन विशेषगों में ६ सप्ताह बीच में अन्तराल दिया जाना जा सकता है और विशेष पूरक एकोडा जा आयी जा दिया जा सकता है । यह एक विशेष मौजा जाएगा जाएगा । यह विशेष मौजा प्राचाराधीर्णे अस्यद्वेष्ट्रोक्रों के लिए उपलब्ध उन्हें जौहों के अभिनव कर्त्ता दिया जाएगा ।
तोर अ लौ है अधीर्णे विज्ञान औ अन्तर्भूत विज्ञान विज्ञान कानून का १२ X

१२. उपस्थिति :- यह जिसी परीक्षाधीर्णे की अपी उत्तर-पुस्तिता के मूल्यांकन पर उन्हें हो और इसका घेष्ठ कारण हो तो वह हुए उन्नत्य में एक अध्यावेदन प्राचाराधीर्णे केन्द्र अध्यात्र प्राशाप मुख्यालय तो दे सकता है । आवेदन प्ररा प्रत्येक उत्तर-पुस्तिता के गले 100/- इसके लाये १० पूर्वान्तरांकन शुल्क लगायी जाएगी जो उपलब्ध होगी । पुर्वान्तरांकन या अंक जोड़ा है पर उपलब्ध परिषाम उक्त उत्तर-पुस्तिता के लिए अन्तिम पारिषाम माना जाएगा । यह हुविधा परीक्षाधीर्णे को मात्र है वार्षिक उपलब्ध होगी । अध्यावेदित पत्र के लिए

परीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन या अंक जोड़ाई के बाद परिणाम में पारिवर्तन होने पर प्राचार्य उक्त परिणाम के अनुमोदन के लिए पुनः मुख्यालय भेजे। मुख्यालय ने अनुमोदन के बाद प्राचार्य पुनरीक्षण परिणाम तंत्रीकृत छेत्रादेश में निर्वाचित कर धोषित करेगे।

12. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव ते लागू होगा तथा इस आदेश के आलोक में पूर्व में निर्वाचित आदेश स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

२३

५५५
अल्प कुमार चौधरी
मटा निदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, विहार, पटना।

जापांक २२६४ प्रशिक्षण की
4-2-93

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, विहार, पटना।

पटना, दिनांक १७/५/१९९३

प्रतिलिपि:-

1. अपर आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी तेजाएं एवं प्राशिक्षण, विहार, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक प्रियार्थ प्रेषित।
2. आरक्षी महानिरीक्षक प्रशिक्षण को सूचनाएं एवं पुलिम आदेश में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. ४० आरक्षी उपमहानिरीक्षक प्रशिक्षण-है-प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग को सूचनाएं एवं आवश्यक का रेकार्ड हेतु प्रेषित।
4. आरक्षी अधीक्षक, सम०पी०टी०ती०, पदमा, हजारीबाग को सूचनाएं एवं आवश्यक प्राचार्य प्रेषित।
5. प्राचार्य, ती०टी०८८०, नाथनार, भागलपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक दियार्थी नियम।
6. प्राचार्य, यातायात एवं परिवहन प्रशिक्षण, विद्यालय, ज्योतिषपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक दियार्थी।
7. तभी समादेष्टा, तेज्य पुतित जो सूचनाएं एवं आवश्यक प्रियार्थ।
8. तभी आरक्षी अधीक्षक/तभी ऐल आरक्षी अधीक्षक जो सूचनाएं।
9. महानिदेशक, विशेष गाँगा, विहार, पटना/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, विहार, पटना तथा उभी प्रधेकीय आरक्षी महानिरीक्षक को सूचनार्थ।
10. अपर आरक्षी महानिदेशक, तश्त्र वल, विहार, पटना को सूचनार्थ।
11. तभी क्षेत्रीय आरक्षी उपमहानिरीक्षक/तभी आरक्षी उपमहानिरीक्षक, तेज्य पुतित/आरक्षी उपमहानिरीक्षक ऐलवे, विहार, पटना/रॉची को सूचनार्थ।
12. आरक्षी महानिरीक्षक, रेता, विहार, पटना को सूचनार्थ।

५५५
अल्प कुमार चौधरी
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक